



Neutral Citation No.-2026:AHC:64815-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 11649 वर्ष 2026

श्रीमती पायल और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शीतला सहाय श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई., सी.एस.सी., प्रांजल मेहरोत्रा, सुदर्शन सिंह

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शीतला सहाय श्रीवास्तव, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अंबरीश शुक्ला, प्रतिवादी - डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल मेहरोत्रा, और प्रतिवादी - भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शन सिंह की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. इस रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की भी प्रार्थना की गई है:
राहत:

"क- प्रतिवादी प्राधिकरण को अधिसूचित भूमि के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में रिट आदेश या निर्देश जारी करें, अराजक भूमि संख्या 999, शेष क्षेत्र 0.1050 हेक्टेयर, जो ग्राम वैसोली, देहात, तहसील विधुना, जिला औरैया में स्थित है, जिसका अधिग्रहण प्रतिवादी प्राधिकरण द्वारा विशेष रेलवे परियोजना पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के निर्माण के लिए धारा 28 के तहत किया गया था।

या ख- प्रतिवादी प्राधिकरण को शेष अधिग्रहित भूमि, अर्थात् अराजक भूमि संख्या 999, शेष क्षेत्र 0.1050 हेक्टेयर, जो ग्राम वैसोली, देहात, तहसील विधुना, जिला औरैया में स्थित है, को निरस्त करने और याचिकाकर्ताओं को वापस करने का निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में रिट आदेश या निर्देश जारी करें।"

सी- कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जो यह माननीय न्यायालय जारी कर सकता है मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उचित और उपयुक्त समझना।

डी- याचिकाकर्ताओं को याचिका की लागत प्रदान की जाए।"

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी अधिकारियों को आदेश देने हेतु परमादेश जारी करने की मांग करते हैं कि वे उपर्युक्त अराजक संख्या 999 के शेष 0.1050 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में मुआवजा अदा करें, जिसका वास्तव में अधिग्रहण कर लिया गया है और जिसका उपयोग विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के निर्माण के लिए किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि उपरोक्त रेलवे परियोजना के लिए, रेलवे अधिनियम, 1989 (जिसे आगे “अधिनियम, 1989” कहा गया है) की धारा 20ए के तहत एक अधिसूचना 08.09.2008 को जारी की गई थी और उसके बाद, अधिग्रहण कार्यवाही 15.06.2010 के एक अवार्ड में समाप्त हुई। उक्त अवार्ड में, यद्यपि अराजी संख्या 999 का कुल अधिग्रहित क्षेत्र 0.3350 हेक्टेयर दिखाया गया था, मुआवजा केवल 0.2300 हेक्टेयर के लिए इस आधार पर दिया गया था कि शेष 0.1050 हेक्टेयर क्षेत्र अप्रभावित था और अधिग्रहण से बाहर रखा गया था।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संख्या 2, जो मूल भूमिधारक थे, ने बाद में उक्त भूमि का एक भाग, 0.081 हेक्टेयर, याचिकाकर्ता संख्या 1, 3 और 4 को दिनांक 22.08.2022 के पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से बेच दिया। हालांकि, जब याचिकाकर्ताओं ने भूमि पर कब्जा लेने का प्रयास किया, तो यह पता चला कि शेष 0.1050 हेक्टेयर सहित पूरी भूमि, परियोजना के लिए प्रतिवादी अधिकारियों के कब्जे और उपयोग में थी। इसके बाद, संबंधित अधिकारियों के समक्ष बार-बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए, जिसके परिणामस्वरूप मौके पर निरीक्षण और संयुक्त निरीक्षण किए गए। निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 03.10.2025 में विशेष रूप से दर्ज किया गया कि अराजी संख्या 999 की पूरी 0.3350 हेक्टेयर भूमि परियोजना से प्रभावित है और स्थल पर स्तंभ भी स्थापित किए गए हैं। इसके बाद भी, राजस्व अधिकारियों और परियोजना अधिकारियों के बीच आगे के पत्राचार के बावजूद, जिसमें 26.12.2025 को संयुक्त निरीक्षण भी शामिल है, कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और शेष 0.1050 हेक्टेयर के लिए याचिकाकर्ताओं को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत डीएफसीसीआईएल, न्यू भाउपुर द्वारा दिनांक 11.02.2026 को दी गई जानकारी पर भी भरोसा जताया है, जिसमें बताया गया था कि समय की कमी के कारण 26.12.2025 को बिझाई गांव के गाटा संख्या 999 का मापन पूरा नहीं हो सका। अंत में उन्होंने निवेदन किया कि प्रतिवादियों द्वारा पूरी जमीन का उपयोग करने के बावजूद मुआवजे को रोके रखना पूरी तरह से मनमाना, अवैध और अनुचित है।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी - डीएफसीसीआईएल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल मेहरोत्रा ने मांगी गई राहतों का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 2008 में शुरू की गई थी और अवार्ड भी वर्ष 2010 में दिया गया था, और तब से याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। उनका कहना है कि यह मुद्दा पहली बार वर्ष 2025 में उठाया गया है और इसलिए, दावा घोर विलंब और लापरवाही से ग्रस्त है। उनका यह भी कहना है कि कथित माप/निरीक्षण डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों की उपस्थिति में नहीं किया गया है। हालांकि, उनका यह कहना उचित है कि उक्त मुद्दे की जांच जिला स्तरीय समिति द्वारा की जा सकती है, बशर्ते यह डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों की उपस्थिति में की जाए, जो एक प्रभावित पक्ष है, और जिनकी अनुपस्थिति में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अधिकार निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

8. इसी प्रकार की आपत्ति श्री अंबरीश शुक्ला, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, जो राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए, ने उठाई है। उनका निवेदन है कि अत्यधिक विलंब के कारण, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है। वे आगे निवेदन करते हैं कि रेल अधिनियम,

1989 एक स्व-निहित अधिनियम है और याचिकाकर्ताओं की शिकायत को उचित रूप से 1989

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम के तहत मध्यस्थ के समक्ष उठाया जा सकता है। हालांकि, वे राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार की गई दिनांक 03.10.2025 की रिपोर्ट पर विवाद नहीं करते हैं, जिसे रिट याचिका के अनुलग्नक-4 के रूप में रिकॉर्ड में लाया गया है। उनका निवेदन है कि यदि मामले को जिला स्तरीय समिति को भेजा जाता है, तो राज्य-प्रतिवादियों को कोई आपत्ति नहीं होगी और उक्त मुद्दे की जांच उक्त समिति द्वारा की जा सकती है।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए और अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान रिट याचिका में निहित विवाद मूलतः इस तथ्य से संबंधित है कि क्या अराजी संख्या 999 के शेष 0.1050 हेक्टेयर क्षेत्र का वास्तव में विचाराधीन परियोजना के लिए उपयोग किया गया है और यदि हां, तो क्या याचिकाकर्ता इसके संबंध में मुआवजे के हकदार हैं, या अन्यथा उक्त भूमि की बहाली के हकदार हैं।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिपक्षी दावों के गुण-दोष पर विचार किए बिना, यह रिट याचिका याचिकाकर्ताओं को इस आदेश की सत्य सत्यापित प्रति के साथ जिला स्तरीय समिति के समक्ष एक नया निवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ निपटाई जाती है, जिसका गठन दिनांक 12.05.2016 के सरकारी आदेश के तहत किया गया है, आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर। यदि ऐसा निवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो जिला स्तरीय समिति याचिकाकर्ताओं के दावे पर कानून के अनुसार विचार करेगी और निर्णय लेगी, सभी संबंधित पक्षों, विशेष रूप से प्रतिवादी - डीएफसीसीआईएल को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, और यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यवाही शीघ्रता से, अधिमानतः बारह सप्ताह की अवधि के भीतर समाप्त हो जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

28 मार्च, 2026

एनएलवाई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।